उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-30/2018/61/92-2-18-37जॉच/2015,

लखनऊ:: दिनांक:: 09 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-पीलीभीत के निर्माण कार्यों की अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-802/92-2-2015-37जांच/2015, दिनांक 26.06.2015 द्वारा श्री पी0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-पीलीभीत सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-802(2)/92-2-2015-37(जांच)/2015, दिनांक 26.06.2015 द्वारा श्री पी0के0 गुप्ता के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या01 माह मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर के द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 गुप्ता को दिनांक 17.08.2015 को तामील कराया गया, जिसकी तामीली रसीद शासन में दिनांक 04.09.2015 को उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी ने अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 03.09.2015 को उपलब्ध कराया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 26.12.2015 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपति कुल-7 आरोपों में से आरोप संख्या-1 तथा आरोप संख्या-4 प्रमाणित नहीं पाया तथा आरोप संख्या-6 व 7 पूर्ण रूप से प्रमाणित पाया गया एवं आरोप संख्या-2, 3, एवं 5 को अपचारी अधिकारी द्वारा अपरोक्ष रूप से स्वीकार करने के कारण जांच अधिकारी ने प्रमाणित पाया। प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 16.03.2016 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 11.04.2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 गुप्ता के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप संख्या-2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 प्रमाणित पाया गया है जो निम्नवत है:-

श्री पी0के0 गुप्ता द्वारा प्रखण्ड-पीलीभीत के डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों के एक ही कार्य योजना के कार्यो को टुकडों में बॉटकर अपनी सीमा में लाने हेतु कार्यो के पैकेज बनाकर निम्नानुसार अनुबन्ध गठित किये गये :-

क्र0 सं0	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार कार्य की लागत (लाख में)	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभि0सेवा, प्रखण्ड-पीलीभीत द्वारा अपनी सीमा में लाने हेतु कार्यो को तोडकर निम्नानुसार अनुबंध गठित किये गये		
			अनुबंध सं0/ पैकेज सं0	अनुबंध का दिनांक	अनुबंध की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	खरगपुर खुर्द	52.50 जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्रांक-	83 ई0ई0 पैकेज-2	28.05.2010	26,44,652.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		374 दि 0 21.05.10	97ई0ई0 पैकेज सं0-1	08.06.2010	24,43,491.00
				योग -	50,88,142.00
2.	भूडा सरैदा	53.50 जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्रांक- 374 दि 0 21.05.10	90 ई0ई0 पैकेज-1	03.06.2010	28,87,192.00
			92ई0ई0 पैकेज-2	03.06.2010	23,22,244.00
				योग	52,09,436.00
3.	भूडा सरैदा सहा0	49.00 जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्रांक- 2245 दि0 07.09.10	116 ई0ई0 पैकेज-1	15.09.2010	33,78,607.00
			117ई0ई0 पैकेज-2	15.09.2010	12,03,384.00
				योग	45,81,991.00
4.	पंजाबा	58.50 जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्रांक- 374 दि 21.05.10	91 ई0ई0 पैकेज-1	02.06.2010	24,91,645.00
			82ई0ई0 पैकेज-2	28.05.2010	25,13,365.00
				योग	50,05,010.00
5.	श्रीनगर	86.79 जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्रांक- 1919 दि 0 24.11.10	123 ई0ई0 पैकेज-1	06.01.2011	26,68,432.00
			122 ई0ई0 पैकेज-2	03.01.2011	29,34,478.00
			124ई0ई0 पैकेज-3	06.01.2011	22,74,366.00
				योग	78,77,276.00
6.	नौजल्हा नकटा	168.93 जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्रांक- 1919 दि0 24.11.10	127 ई0ई0 पैकेज-1	06.01.2011	31,42,355.00
			126 ई0ई0 पैकेज-2	06.01.2011	32,35,188.00
			125 ई0ई0 पैकेज-3	06.01.2011	34,02,326.00
			120 ई0ई0 पैकेज-4	27.12.2010	34,11,764.00
			121 ई0ई0 पैकेज-5	27.12;2010	26,08,105.00
				योग	1,57,99,738.00

उक्त वर्णित प्रकरणों में 05 डा0 अम्बेडकर ग्राम-खरगपुर खुर्द, भूडा, सरैंदा मु0 भूडा सरैंदा सहा0, पंजाबा, व श्रीनगर अधीक्षण अभियंता स्तर के एवं 01 डा0 अम्बेडकर ग्राम-नौजल्हा नकटा जिसकी कार्य योजना 1.689 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से अधिक होने के कारण अनुबंध गठन करने हेतु मुख्य अभियंता की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है, जिससे बचने के उद्देश्य से कार्यों को टुकडों में विभाजित कर मनचाहे ठेकेदारों के साथ अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये अनियमित रूप से अनुबंध गठित किये गये।

अत: उनके द्वारा अधीक्षण अभियंता स्तर से 40.00 लाख एवं मुख्य अभियंता स्तर से 01 करोड़ से अधिक की कार्य योजना को टुकडों में विभाजित कर अनुबंध किये जाने पर वित्तीय अनियमितताओं एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रसतर-357 के उल्लंघन के उत्तरदायी है, जिस हेतु उनको आरोपित किया जाता गया।

प्रखण्ड-पीलीभीत के लेखा अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि अन्य विभागों एवं अन्य योजनाओं के अधीन प्राप्त निक्षेप मद की रू0 27,97,827.25 की धनराशियॉ उनके द्वारा अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रखी गयी क्योंकि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में उक्त धनराशि में से कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	अवधि	विभाग/योजना का नाम	धनराशि
1	2	3	4
1.	-	पशुपालन विभाग	71,114.83
2.	-	उद्यान विभाग	30,541.00
3.	-	शिक्षा विभाग	1,44,913.82
4.	7/91	राजस्व विभाग	40,619.24
5.	3/94	रेशम विभाग	26,175.70
6.	-	जवाहर रोजगार योजना	45,352.19
7.	-	सोशल सेफटीनेट स्कीम	7,19,666.08
8.	-	ग्राम्य विकास विभाग	4,66,693.00
9.	-	पर्यटन	2,50,662.00
10.	-	एस0आर0वाई0	1,01,211.44
11.	-	विधायक योजना	70,796.10
12.	-	स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना	54,008.85
13.	-	विधायक निधि (02-03)	85,341.00
14.	02-03	स्वर्ण जयंती रोजगार योजना	20,776.00
15.	-	पशुपालन विभाग	1,53,077.00
16.	05/05	चिकित्सा विभाग सिफरल	85,709.00
17.	03/05	जिला उद्योग केन्द्र	7,865.00
18.	10/04	बार्डर नीया पुलिस	7,314.00
19.	04/06	गॉधी स्टेडियम पार्क समिति पीलीभीत	20,414.00
20.	10/06 से 02/08	आयुर्वेदिक कालेज	3,95,317.00
		योग	27,97,837.25

अत: उक्तानुसार धनराशि का उपयोग न करते हुये शासकीय नियमों के विपरीत उक्त धनराशि को अवरूद्ध रखा गया, जिस हेतु उनको आरोपित किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्गत सी0सी0 रोड के निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप सी0सी0 रोड की तराई हेतु हैसन क्लाथ का प्रयोग चार से पॉच बार तक किये जाने का प्रावधान था। अग्रेत्तर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पत्रांक-77/09-10, दिनांक 03-07-09 द्वारा सी0सी0 रोड की तराई हेतु हैसन क्लाथ का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया था एवं सी0सी0 रोड की तराई छोटी-छोटी क्यारी बनाकर किया जाना अनुमन्य किया गया था, जबकि उनके द्वारा वर्ष 2008-09 में गठित किये गये अनुबंधों में पाया गया कि निदेशक एवं मुख्य अभियंता के उक्त परिपत्र द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के पश्चात गठित किये गये अनुबंधों में जितने क्षेत्रफल में सी0सी0 रोड का प्राविधान दिया गया था उतने ही क्षेत्रफल में हैसन क्लाथ का प्राविधान किया गया है। यदि हैसन क्लाथ का प्रयोग किया जाना अनिवार्य था तो सी0सी0 कार्य के क्षेत्रफल के 1/4 भाग की मात्रा में हैसन क्लाथ का प्राविधान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 3/4 क्षेत्रफल का अनावश्यक प्राविधान कर शासन को 13.08 लाख के हैसन क्लाथ का क्रय कर शासकीय हानि पहुंचायी गयी। अत 13.08 लाख की शासकीय क्षति के लिये वे उत्तरदायी है, जिसमें उनको आरोपित किया गया।

प्रखण्ड-पीलीभीत के वर्ष 2009-10 में उनके द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन संख्या-02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 22, 24, 26, 28, 29, 31 एवं 34 में माइल्ड स्टील का प्रयोग एक प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत तथा प्राक्कलन संख्या-37 में 1.25 की दर से गणना किये जाने के फलस्वरूप कार्य की लागत में रू0 3,90,000/- की वृद्धि प्रदर्शित हुई। इस प्रकार निर्धारित विशिष्टियों में परिवर्तन करके कार्य की लागत रू0 3,90,000/- की बढोत्तरी की गयी, जिससे शासन को रू0 3.90 लाख की उनके द्वारा क्षति पहुंचायी गई। उनके द्वारा विशिष्टियों में परिवर्तन करने पर हुई रू0 3.90 लाख की शासकीय क्षति के लिये वे उत्तरदायी है, जिस हेतु उनको आरोपित किया गया।

इसी प्रकार प्रखण्ड-पीलीभीत में सी0सी0 कार्य से संबंधित आगणनों से स्पष्ट हुआ है कि ऑकड़ों में 01 प्रतिशत से 02 प्रतिशत तक की दर से कन्टीजेन्सी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल में रू0 46.93 लाख का उनके द्वारा प्राविधान किया गया है, लेकिन उकत मदों पर व्यय की धनराशि से संबंधित अभिलेख प्रखण्ड में संरक्षित नहीं किये गये। अत: आगणन में क्वालिटी कन्ट्रोल सर्वे चार्जेज एवं कन्टीजेन्सी मद पर रू0 46.93 लाख के व्यय के बावजूद अभिलेखों का संरक्षित न किया जाने के कारण शासकीय क्षति उनके द्वारा पहुंचायी गयी। अत 46.93 लाख की शासकीय क्षति के लिये वे उत्तरदायी है जिस हेतु उनको आरोपित किया गया।

4- जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों में शासकीय क्षति स्पष्ट नहीं होने के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से शासन के पत्र दिनांक 05.07.2016 द्वारा आख्या मांगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 31.03.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की आख्या दिनांक 31.03.2017 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में कुल शासकीय क्षति रू0 1,38,21000.00/- परिलक्षित हुई जिसके सापेक्ष अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 गुप्ता के विरूद्ध कुल रू0 14,87,975.00/- की शासकीय क्षति आंकलित की गयी। निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ने आख्या में यह भी स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी पर जिस आरोप संख्या-4 को प्रमाणित नही पाया था, उसको भी प्रमाणित करते हुए रू0 4,88,000.00/- की रायल्टी की धनराशि वसूली योग्य पाया गया। अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 गुप्ता के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रमाणित आरोप संख्या-4 जो निम्नवत है:-

उनके द्वारा वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में स्वीकृत प्राक्कलन तथा उसके आधार पर गठित अनुबंधो में पाया गया कि सी0सी0 रोड के निर्माण में मिट्टी के स्थान पर लोकल सेण्ड का प्रयोग किया गया है, जो कि विशिष्टियों के विपरीत है तथा प्रमुख अभियन्ता, (विकास) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-640/कैम्प-प्र0अ0विकास/69सी0सी0 रोड/2008, दिनांक 04.07.2008 द्वारा सर्कुलेट किया गया था, जिसमें विशिष्टियों के अनुसार जहां कहीं ब्लैक काटन स्वायल है तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कंक्रीट के नीचे 10 से0मी0 लोकल सैण्ड/मोरम का प्राविधान किया जायेगा। जबकि पीलीभीत क्षेत्र में ब्लैक काटन स्वायल नहीं थी। उन्होनें सी0सी0 रोड के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण में विशिष्टियों के विपरीत मिट्टी के स्थान पर लोकल सैण्ड की फिलिंग के कारण कार्य की लागत में 77.62 लाख की वृद्धि कर शासकीय क्षति पहुंचाई गयी तथा इसके अतिरिक्त बालू की आपूर्ति हेतु ठेकेदार से रायल्टी की वसूली नहीं दी गयी जिसके कारण 28,748.90 घन मी0 पर 17/- रू0 प्रतिघन मीटर की दर से रूपये 4,88,000.00 की क्षति पहुंचाई गयी। अत उक्त शासकीय क्षति हेतु वे उत्तरदायी पाये गये, जिसके लिये आरोपित किया गया।

5- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध मे अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता की आख्या तथा अन्य अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री पी0के0 गुप्ता से कुल रू0 14,87,975.00/- की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा देयकों के अभाव में वसूली सिविल लायॅल्टी के रूप में किये जाने के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 08.06.2017 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके अनुक्रम में मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 31.08.2017 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में शासन से प्राप्त समस्त अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त निम्न सहमति प्रदान की है-

"प्रकरण में सिद्ध पाए गए सभी आरोप प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने, वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता से सम्बन्धित हैं। पुष्ट आरोपों के प्रकार एवं प्रकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा कारित की गयी शासकीय क्षति की धनराशि की केवल वसूली किए जाने से, दण्ड की पूर्ति/मंशा पूरी न हो पाने के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड अनानुपातिक है। अत: शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड " शासकीय क्षति रू0 14,87,975.00 की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा देयकों के अभाव में उनकी वसूली सिविल लॉयल्टी के रूप में किए जाने" में आंशिक संशोधन करते हुए 'शासकीय क्षति रू0 14,87,975.00 की वसूली ब्याज सहित (शासकीय नियमानुसार निर्धारित ब्याज दर पर) उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा देयकों के अभाव में उनकी वसूली सिविल लायॅल्टी के रूप में किया जाय।"

6- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध मे अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता की आख्या एवं मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद की सहमति तथा अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया गया कि प्रश्नगत प्रकरण जो वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, एवं 2010-11 से संबंधित है, में श्री पी0के0 गुप्ता के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.06.2015 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही घटनाक्रम के 04 वर्ष बाद संस्थित की गयी है। अतएव प्रश्नगत प्रकरण में श्री पी0के0 गुप्ता के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 14,87,975.00 जिसपर मा0 आयोग द्वारा ब्याज सहित वसूली हेतु सहमति भी व्यक्त की गयी है, के दृष्टिगत उनके विरूद्ध आंकलित शासकीयक्षति की धनराशि रू0 14,87,975.00 की वसूली (ब्याज सहित) की कार्यवाही निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सिविल सूट दाखिल कर किये जाने के साथ ही श्री पी0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-पीलीभीत सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-802/92-2-2015-37जांच/2015, दिनांक 26.06.2015 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-30/2018/61(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री पी0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-पीलीभीत सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- अनु सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-28/4/ए0डी0सी0/एस-12/17-18, दिनांक 31.08.2017

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।